ANNEXURE-3

// आदेश //

उपजिलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–421/रीडर–2022–23, दिनांक 12–09–2023 के द्वारा स्थान श्रीनगर अन्तर्गत डम्पिंग जोन हेतु ग्राम धौना लग्गा उफल्डा, पट्टी इडवालस्यूँ, तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल मे भूमि चयन कर भू–प्रस्ताव निम्नवत् प्रेषित किया गया है:–

- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–119 पर चौड़ीकरण प्रस्तावित कार्य के लिए डम्पिंग जोन हेतु ग्राम धौना लग्गा उफल्डा, पट्टी इडवालस्यूँ, तहसील श्रीनगर अन्तर्गत नॉन जेड0ए0 खतौनी के खाता सं0– 03 श्रेणी–9(3)ड. बंजर के खेत सं0– 196 रक्बा 11.574 है0 मध्ये 7.021 है0 भूमि प्रस्तावित की गई है।
- प्रस्तावित भूमि में कोई मकानात, मरघट, शमशान घाट, कब्रिस्तान, धर्मशाला इत्यदि नही है।
- प्रस्तावित भूमि पर 21 चीड़ के पेड़ है।
- प्रस्तावित भूमि तीव्र ढालनुमा है और उसके ठीक नीचे बारमासी गदेरा बहता है। उक्त भूमि को डम्पिंग जोन में मलबे निस्तारण हेतु उपयोग किये जाने पर गधेरा बाधित होने की सम्भावना है किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर के द्वारा उक्त परिस्थिति की लिखित रूप मे पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए उक्त भूमि को प्रस्तावित करने की याचना की गई है।
- तहसील श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत कोई अन्य स्थल पर उक्त प्रयोजन हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध नही है।
- प्रस्तावित भूमि की चौहद्दी निम्न है– पूरब में राजकीय भूमि, पश्चिम में राजकीय भूमि, उत्तर में राजकीय भूमि एवं दक्षिण में राजकीय भूमि।

राज्य के सेवा विभागों की आवश्यकता की प्रर्तिपूर्ति के लिए वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.2002, शासनादेश संख्या–111/XVII(7)50(39)/2015/2014दिनांक 09.07.2015,शासनादेश संख्या–1887 /XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015 तथा शासनादेश संख्या– 496/XVII(II) /2020-08(63)/2016 दिनांक 28.07.2020 में राज्य के एक प्रशासकीय विभाग को भूमि/भवन नि:शुल्क हस्तान्तरण किये जाने हेतु जिलाधिकारी को प्रतिनिधानित किये गये है।

अतः उक्तानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–119 पर चौड़ीकरण प्रस्तावित कार्य के लिए डम्पिंग जोन हेतु ग्राम धौना लग्गा उफल्डा, पट्टी इडवालस्यूँ, तहसील श्रीनगर अन्तर्गत नॉन जेड0ए0 खतौनी के खाता सं0– 03 श्रेणी–9(3)ड. बंजर के खेत सं0–196 रक्बा 11.574 है0 मध्ये 7.021 है0 भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर को कार्य अवधि तक हस्तान्तरण की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1– प्रस्तावित भूमि वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तालाब, पनघट आदि की नही है, प्रस्तावित भूमि गौचर, चारागाह व सार्वजनिक उपयोग की नही है।

2– भूमि पर कोई धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में की जाय तो उसके लिए मूलविभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो तो अथवा तीन वर्ष तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– एक विभाग दूसरे विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नही लेगा, लेकिन यदि इस भूमि पर पेड़, इत्यादि अन्य वनसम्पदा हो तो, प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वनसम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा।

8– प्रश्नगत भूमि में वन सरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में ग्रहीता विभाग द्वारा भूमि उपयोग व परिवर्तन, गैरवानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

9– प्रश्नगत नॉन0जेड0ए0 भूमि आवंटन से पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि–सुधार अधिनियम की धारा 132 के समक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त (ग्रहीता विभाग द्वारा) निर्माण/अग्रिम कार्य किया जायेगा।

10– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0/सी0) संख्या–3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436/201 /20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2011 दिये गये आदेश व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन ग्रहीता विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों से किसी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा। इस संबंध मे नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करें।

12– प्रस्तावित भूमि के ठीक नीचे बारमासी गदेरा बहता है। उक्त भूमि को डम्पिंग जोन में मलबे निस्तारण हेतु उपयोग किये जाने पर गधेरा बाधित होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में गदेरा बाधित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी याचक विभाग की होगी।

13– उक्त अनुमति वाली भूमि का स्वामित्व उत्तराखण्ड सरकार का रहेगा तथा याचित विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वामित्व/अधिकार नही होगा।

14– कार्य समाप्ति के पश्चात वर्णित स्थल को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने के उपरान्त राजस्व विभाग को हस्तगत की जायेगी।

15– डम्पिंग जोन के आस पास ग्रामीणों एवं वृक्ष, पेयजल स्रोत एवं धार्मिक स्थल, रास्तो को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

16– डम्पिंग जोन में डम्प किये गये मलवे का भरान टीले के आकार का न करते हुए समतल आकार का किया जायेगा।

17– डम्पिंग कार्य तकनीकी विशेषज्ञ की देख–रेख में किया जायेगा।

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल !!
E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com/PHONE-01368-222250/Fax:222080

संख्या– 4120 /08–भू0अध्य0लि0–भूमि0हस्ता0/2023 पौडी दिनांक अगस्त 14,2023

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– उपजिलाधिकारी, श्रीनगर।
5– अधिशासी अभियन्ता, राट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर।
6– तहसीलदार, श्रीनगर।
7– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

— नकल खतौनी / सुनंदखेसरा

प्रपत्र सं0 प–11 ग्राम - धर्मनालण्डीनवल, पट्टी - इडवालस्यूं, तह0 - श्रीनगर (गढ़वाल), जिला - गढ़वाल

2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी 9(3)ङ - कृषि योग्य बंजर भूमियां।														
3. बंजर		78	0.199											
		X	X											
		X	X											
		196	11.574											
		X	X											
		800	6.071											
	योग	8	25.644											

नोट - खेत सं0 196 रकबा 11.574 है0 मध्ये 7.021 है0 भूमि रा0 मा0 सं0 119 पर चौड़ीकरण को प्रस्तावित कार्य के डंपिंग जोन हेतु प्रस्तावित।

(हस्ताक्षर)
इडवालस्यूं
श्रीनगर
12/9/2023

-: नकल खसरा :-

— फसली वर्ष -: 1428

ग्राम -: धौता [illegible], — पट्टी -: इडवालस्यूं, — तहसील -: श्रीनगर, जिला - गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7 - 17	18	19	20	21
196	11.574	3	उत्तराखण्ड सरकार	—	—	—	196	11.574	चीड़ / 38	

नोट :- खो० सं० 196 रकबा 11.574 हे० मध्ये 7.024 हे० भूमि रा०मा० सं० 119 पर चौड़ीकरण के प्रस्तावित कार्य की संयुक्त जांच हेतु प्रस्तावित।

(मानसिंह)
इडवालस्यूं
श्रीनगर
12/9/2023

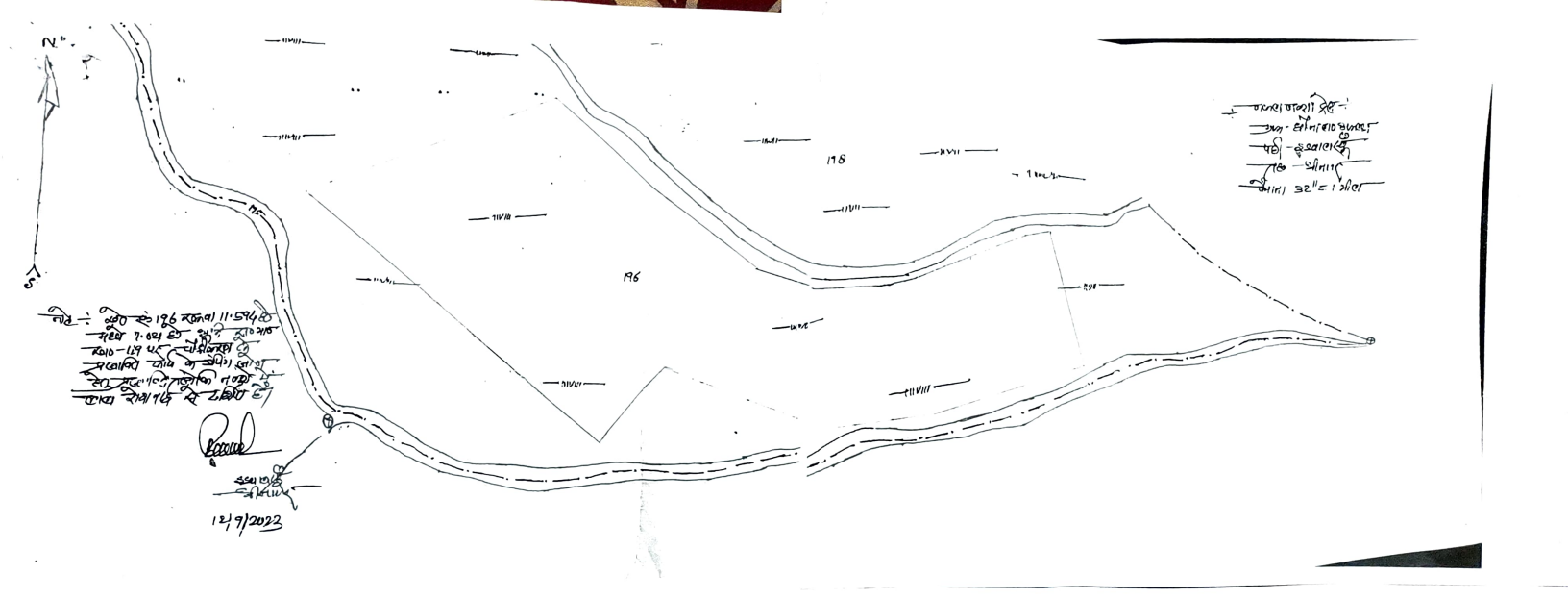

N
S
196
198
12/9/2023